पटना में दिनांक–02 जनवरी, 2018 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1. पटना जिलान्तर्गत वर्त्तमान पुलिस लाईन के पुराने एवं जर्जर भवनों को तोड़कर उसी स्थान पर नया पुलिस केन्द्र के निर्माण हेतु प्रथम चरण के लिए संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 10595.458 लाख (एक सौ पाँच करोड़ पनचानवे लाख पैंतालिस हजार आठ सौ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

2. पथ निर्माण विभाग के विभिन्न परियोजनाओं के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन हेतु विशेषज्ञ आधारित परियोजना प्रबंधन ईकाई (Project Management Unit) का गठन। — 2. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

3. पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के आवासीय एवं गैर आवासीय परिसरों के प्रस्तावित निर्माण एवं कर्णांकित भू–खण्ड के लिए तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुमोदन के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

4. श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता, सेवानिवृत्त अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2804, दिनांक–29.03.2010 के कंडिका–5 (क) के अनुसार अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में संविदा पर नियुक्त को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के कंडिका–3 (2) (क) (V) के आलोक में दिनांक– 25.11.2018 को 65 वर्ष की उम्र पूर्ण होने तक के लिए या उक्त धारित पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो पहले हो) संविदा पर नियोजन अवधि विस्तार के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

5. वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित मॉडल स्कूल के स्थापना के क्रम में 81 मॉडल स्कूल के भवन निर्माण/अधूरे भवन को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 186.67 करोड़ (एक अरब छियासी करोड़ सड़सठ लाख) के विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग
(माध्यमिक शिक्षा)

6.	माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु सभी पंचायतों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना संबंधी नीति के अन्तर्गत भूमि की न्यूनतम उपलब्धता 0.75 एकड़ (पचहत्तर डिसमिल) करने एवं इस नीतिगत निर्णय से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं अन्य योजना के तहत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2) में उत्क्रमण करने की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–02 (औरंगाबाद–बरबड्डा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–मदनपुर के मौजा–सैलवाँ के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–0.0870 हेक्टेयर अर्थात 0.2149 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8.	जगदीशपुर–हल्दिया गैस पाइप लाईन योजनान्तर्गत सेक्शनाईजिंग वाल्व स्टेशन निर्माण हेतु नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ अंचल के मौजा–महानन्दपुर, थाना नं०–326, खाता नं०–376 के खेसरा नं०–01, रकबा–2.9652 एकड़ गैरमजरूआ मालिक मोकरीदार भूमि 52,000/–(बावन हजार) रू० प्रति डिसमिल के दर से 1,54,19,040 रू० सलामी एवं सलामी का पाँच प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 7,70,952/–रू० का पच्चीस गुणा अर्थात 1,92,73,800/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–3,46,92,840/–(तीन करोड़ छियालीस लाख बानवे हजार आठ सौ चालीस) रू० के भुगतान पर गेल (इण्डिया) लिमिटेड, (भारत सरकार के उपक्रम) नई दिल्ली को स्थायी हस्तान्तरण करने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9.	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–02 (औरंगाबाद–बरबड्डा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल –मदनपुर के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल– 0.3248 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न– परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10.	जमुई जिलान्तर्गत जमुई अंचल के मौजा–अमरथ, थाना नं०–237, खाता सं०–337, खेसरा सं०–1400/2528, रकबा–7.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि पर अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापन हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।	10.	स्वीकृत।